न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 341/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/548

वादीगण

1.अचलाराम पुत्र करीगाराम
2.उकी पत्नी रूपाराम
3.जालाराम पुत्र रूपाराम
जाति पटेल निवासी कुड़ी
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1.देवीदान पुत्र उदयदान
2.श्रेणीदान पुत्र सागरदान
जाति चारण निवासी पटाऊ कलां
तहसील कल्याणपुर
3.नैनाराम पुत्र सवाराम
4.मंगलाराम पुत्र रूगनाथराम
5.रामाराम पुत्र रूगनाथराम
6.लच्छाराम पुत्र सवाराम
7.लुम्बाराम पुत्र सवाराम
8.हेमाराम पुत्र रूगनाथराम
जाति पटेल निवासी कुड़ी
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
9.अशोक कुमार सोनी पुत्र भेराराम सोनी
निवासी चोहटन रोड़ बाड़मेर
10.आदित्य स्वरूप सोनी पुत्र अशोक कुमार सोनी निवासी चोहटन रोड बाड़मेर
11.महेश सिंह पुत्र प्रतापसिंह
12.शैतानसिंह पुत्र प्रतापसिंह
जाति पुरोहित निवासी पटाऊ कला
तहसील कल्याणपुर
13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 31.10.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कलां पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 278/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पटाऊ कलां पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 278/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कलां पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 278/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कलां पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 278/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम पटाऊ कलां पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 278/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हों तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 21.01.2023 की छायाप्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। सीमाज्ञान कार्यवाही शांतिपूर्व सम्पन्न हुए का भी उल्लेख है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे प्रकरण बनता ही नही है,क्योकि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट मे सीमाओ को लेकर विवाद होना का कोई उल्लेख नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

–आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

31/10/25

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

31/10/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा